BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त नीरज पुत्र नरेश चन्द्र निवासी कोटला सादात पटबारी पुरा थाना हापुड देहात जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2022 में एक एक महिला पूनम की सर्जिकल ब्लेड से हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 19.02.2022 को थाना गुलावठी पर मुअसं–64/2022 धारा 302 भादवि पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 26.04.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.09.2024 को न्यायाधीश श्री विजय पाल सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे–01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नीरज को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर